डिकी मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उप जिला कलक्टर टोडाभीम

पीठासीन अधिकारीः– दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस

उनवान

1. घनश्याम पुत्र सांवलिया बैरवा
2. विजय पुत्र सांवलिया बैरवा
3. अरविन्द पुत्र सांवलिया बैरवा

निवासी राजौर तहसील टोडाभीम जिला करौली।

(वादीगण)

बनाम

1. नथौली उर्फ नत्थू पुत्र बोदया बैरवा।
2. सोहनलाल पुत्र नानगा बैरवा।
3. पप्पू पुत्र रामकिशन बैरवा।
4. बृजवासी पुत्र रामजीलाल मीना।

जाति बैरवा निवासी राजौर तहसील टोडाभीम जिला करौली।

(प्रतिवादीगण)

दावा बावत स्थायी निषेधाज्ञा

मु0न0 38/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट मिनकानिब मुदई रूबरू .... हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है। कि

अतः दावा वादीगण बखिलाफ प्रतिवादीगण बावत स्थायी निषेधाज्ञा डिकी किया जाता है, तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि ग्राम राजौर स्थित आराजीयात ख0न0 324/890/0.23, 457/0.27, 465/0.07, 467/1.19, 468/0.17, 469/0.14, 515/906/0.14, 533/0.19 कुल किता 8 कुल रकवा 2.40 है0 मे वादीगण की खातेदारी एवं हिस्से की कब्जेकाश्त की आराजी मे कोई रास्ता निर्माण नही करे। आराजी को खुर्द– बुर्द नही करे नाही किसी अन्य से करावे।

निज.....................मुवलिंग............................बावत.........................खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह.....................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक...............अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 10.09.2020 को जारी की गई।

दस्तखत (दुर्गा प्रसाद मीना)
आहदा उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला-करौली

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकाल नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			वावत इजराय हुक्मनामा		
ववत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					

CMS- 2020/317.20

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

तारीख रजू:– 29.04.2019

– 38/2019

पीठसीन अधिकारीः– दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस

उनवान

घनश्याम पुत्र सांवलिया बैरवा
विजय पुत्र सांवलिया बैरवा
अरविन्द पुत्र सांवलिया बैरवा
निवासी राजौर तहसील टोडाभीम जिला करौली। (वादीगण)

बनाम

नथौली उर्फ नत्थू पुत्र बोदया बैरवा।
सोहनलाल पुत्र नानगा बैरवा।
पप्पू पुत्र रामकिशन बैरवा।
बृजवासी पुत्र रामजीलाल मीना।
जाति बैरवा निवासी राजौर तहसील टोडाभीम जिला करौली। (प्रतिवादीगण)

दावा बावत स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितिः– श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट (वादीगण)

दिनांकः– 10.09.2020

निर्णय

वादपत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है **कि ग्राम राजौर** की आराजी ...0 324/890/0.23, 457/0.27, 465/0.07, 466/0.03, 467/1.19, 468/0.17, ...0.14, 470/0.01, 515/906/0.14, 533/0.19 कुल किता 10 कुल रकवा 2.44 है0 मे ...ण बहिस्सा 47/480 के खातेदार काश्तकार है। शेष हिस्से के अन्य खातेदार काश्तकार ...जबकि प्रतिवादीगण का उक्त आराजीयात से कोई संबध किसी प्रकार का नही है। ...दी लठैत मुठमर्द, गिरोहबन्द व्यक्ति है। जो वादीगण की खातेदारी की आराजी पर ...रस्ती कब्जा कर उसमे होकर पक्का रास्ता निकालने पर उतारू है। उक्त आराजीयात ...ण व सहखातेदार की सयुक्त खातेदारी की आराजी है। प्रतिवादीगण या अन्य किसी ...ा का कोई संबध नही है। बॉका दिनांक 22.4.2019 का सुबह करीब 9 बजे का है कि ...दीगण अपने साथ हमराहीयान को लेकर आये तथा वादीगण की खातेदारी व कब्जे की ...ीकी नाप तोल करने लगे, पूछने पर कहने लगे की पहले का रास्ता घूमकर आ राह है ...ए हम यहाँ होकर रास्ता निकालेगे वादीगण द्वारा समझाया की यह आराजी हमारे ...ारी व कब्जे की है मोके पर कोई रास्ता नहीं है। हम काश्त नहीं कर पायेगें। वादीगण ...ातेदारी व कब्जे की आराजी में से रास्ता निकाल लिया तो वादी को अपूर्तनीय छति ...इसलिए दावा करना आवश्यक हुआ है।

अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर प्रतिवादीण को ... निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि **ग्राम राजौर** की आराजी ख0न0 324/890/0. ...457/0.27, 465/0.07, 466/0.03, 467/1.19, 468/0.17, 469/0.14, 470/0.01, .../906/0.14, 533/0.19 कुल किता 10 कुल रकवा 2.44 है0 में वादीगण की खातेदारी व ... की आराजी को खुर्द बुर्द नही करे, ऐसा कोई कार्य ना तो स्वयं करे, ना किसी अन्य से

करावे, जिससे हकूक वादीगण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, मौके व रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी नम्बर 3 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं हुये इसलिये उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। सुनवाई तिथि 27.05.2019 को प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 स्वयं उपस्थित हुये एवं जवाब दावा प्रस्तुत किया कि वादीगण की आराजीयात से हम प्रतिवादी का कोई सम्बन्ध नहीं है। वादीगण का दावा डिक्री कर दिया जावे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। तथा प्रतिवादी नम्बर 4 जरिये वकील उपस्थित हुये। आगामी सुनवाई तिथि 22.08.2019 को प्रतिवादी नम्बर 1,2 व 4 ना तो स्वयं उपस्थित हुये ना ही इनके वकील उपस्थित हुये इस कारण इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादीगण के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही हो जाने के कारण तनकी कायम करने की आवश्यकता नहीं है।

वादीगण ने अपने वाद पत्र के समर्थन मे घनश्याम का शपथ पत्र पेश किया कि वादपत्र मे वर्णित आराजीयात मे हम वादीगण का 47/480 हिस्से के खातेदार काश्तकार है। हमारे हिस्से की कब्जेकाश्त की आराजीयात से प्रतिवादीगण का कोई संवध किसी प्रकार का नही है। प्रतिवादीगण को पावन्द किया जावे कि हमारी आराजी मे होकर पक्का रास्ता नही निकाले।

वादी वकील ने वहस करते हुये कथन किया कि वादपत्र मे वर्णित आराजीयात मे हम तीनो वादीगणो का 47/480 हिस्सा है। कब्जे काश्त की आराजीयात से प्रतिवादीगण का कोई संवध किसी प्रकार का नही है प्रतिवादीगण, वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी मे होकर रास्ता नही निकाले इस बावत स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाया जावे। दावा डिकी फरमाया जावे।

वादी वकील की वहस पर मनन करते हुये पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया। वादीगण ने ग्र्राम राजौर की जमाबन्दी सम्वत 2070-73 के खाता संख्या 154 मे वर्णित आराजीयात ख0न0 324/890/0.23, 457/0.27, 465/0.07, 466/0.03, 467/1.19, 468/0.17, 469/0.14, 470/0.01, 515/906/0.14, 533/0.19 कुल किता 10 कुल रकवा 2.44 है0 मे प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द कराने का दावा पेश किया है। जमाबन्दी के अवलोकन पर पाया गया कि वादीगण घनश्याम, विजय, अरविन्द पि0 सांवलिया हिस्सा बराबर 47/480 के आराजी ख0न0 324/890/0.23, 457/0.27, 465/0.07, 467/1.19, 468/0.17, 469/0.14, 515/906/0.14, 533/0.19 कुल किता 8 कुल रकवा 2.40 है0 मे खातेदार काश्तकार है। इन ख0न0 के लिये ही दावा निर्णित किये जाने योग्य है। प्रतिवादी न0 1 व 2 ने स्वंय उपस्थित होकर दावा डिकी करने बावत जवाब प्रस्तुत किया है। शेष प्रतिवादीगण ने बावजूद सूचना एवं जरिये वकील उपस्थित होने के बावजूद जवाब प्रस्तुत नही किया है। उपस्थित नही होने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही की गई। उपरोक्त तथ्यो के मध्येजनर वादीगण का दावा बावत स्थायी निषेधाज्ञा डिकी किया जाना उचित पाता हूँ।

अतः दावा वादीगण बखिलाफ प्रतिवादीगण बावत स्थायी निषेधाज्ञा डिकी किया जाता है, तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम राजौर स्थित आराजीयात ख0न0 324/890/0.23, 457/0.27, 465/0.07, 467/1.19, 468/0.17, 469/0.14, 515/906/0.14, 533/0.19 कुल किता 8 कुल रकवा 2.40 है0 मे वादीगण की खातेदारी एवं हिस्से की कब्जेकाश्त की आराजी मे कोई रास्ता निर्माण नही करे। आराजी को खुर्द- बुर्द नही करे नाही किसी अन्य से करावे। पर्चा डिकी जारी हो।

10/9/2020

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला-करौली

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उप जिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली